न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाडा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव (आई.ए.एस.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 07/2026 (जीसीएमएस 2026/60) सरकार बनाम बहादुर सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26–05–2026	उपस्थित – 1. श्री रामा मईडा अधिवक्ता 2. अभियोजन अधिकारी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 आदेश दिनांक 26–05–2026 उक्त प्रार्थना पत्र वाहन स्वामी प्रार्थी **बहादुर सिंह पिता श्री रतनाजी जाति हरिजन निवासी टाण्डीबडी, टाण्डी कला, पुलिस थाना कसारवाडी, जिला बांसवाडा राजस्थान** के वाहन **Mahindra Bolero MAXI TRUCK PLU 1-2T CBC, Registration NO. RJ03-GA-5479** जो भार साधक अधिकारी, पुलिस थाना **सज्जनगढ जिला बांसवाडा** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. **116/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम के तहत जब्त किया था को सुपूर्दगी बाबत् प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना **सज्जनगढ जिला बांसवाडा** से वाहन के सम्बन्ध में विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। दिनांक **26.05.2026** थानाधिकारी पुलिस थाना **सज्जनगढ जिला बांसवाडा** की रिपोर्ट मय अनुसंधान पत्रावली के साथ प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। थानाधिकारी पुलिस थाना **सज्जनगढ जिला बांसवाडा** द्वारा रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि दिनांक 14.05.2026 को नाकाबन्दी कर वाहनो की चैकिंग के दौरान बांसवाडा की तरफ से एक पीकअप जिसका रजिस्ट्रेशन नं. **RJ03 GA 5479** आया उसको रुकवाया जाकर चैक करने पर अन्दर पीछे डाले में दो बैल भरे हुए थे। डाले के अन्दर कोई चारे पानी की व्यवस्था नही की हुई पाई। वाहन चालक से पुछताछ पर बैलो को कसारवाडी कुछ समय बाद अपने गांव टाण्डी बडी ले जाना व कभी झालोद ले जाना बताया। जिससे उक्त व्यक्ति पिकअप में भरे बैलो को अन्य प्रयोजन से गौवंश परिवहन करना एवं गाडी में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नही करा एक पीकअप में दो बैल भरकर ले जाना, क्रुरता पूर्वक ले जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 का अपराध बनना	

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पाये जाने पीकअप रजि. नं. **RJ03 GA 5479** जब्त किया गया व पुलिस जाप्ते के सामने ही आरोपी बहादुर सिंह द्वारा संज्ञेय अपराध कारित करना पाया जाने पर आरोपी बहादुर सिंह को गिरफ्तारी के आधार धारा 47 बीएनएसएस की सूचना दी जाकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट 116/2026 धारा 5, 6 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। गौवंश दो बैल का स्वास्थ्य परिक्षण कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। गौवंश (दो बैलो) को गौशाला में जमा करा रसीद प्राप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रमाणित पाया गया है। जब्तशुदा गौवंश (दो बैल) की आवश्यकता नही है, प्रकरण में अंतिम निस्तारण होने तक वात्सल्य गौसेवा संस्थान सज्जनगढ को सुपूर्द करने दिनांक 22.05.2026 को प्रार्थना पत्र श्रीमान् को पेश किया गया है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन की आवश्यकता नही है।

हस्तगत प्रकरण के पुलिस थाना **सज्जनगढ जिला बांसवाडा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट **116/2026** में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण किया जाना उचित प्रतित होता है।

उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2018 की धारा 6 'क' के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश फरमाया जाकर जब्तशुदा वाहन को अधिहरण किया जावे। इस अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत जब्तशुदा बैलो की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निस्तारण होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओ के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वेच्छीक एजेन्सी को या राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के उपबंधो के अधीन शासीत किसी गौशाला या किसी गोसदन को सौपना प्रावधानित किया हुआ है।

इस पर वाहन स्वामी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6 (क) में वर्णित प्रावधानो के अनुसार उक्त वाहन की सुपूर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से कोई

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अवैध गौवंश परिवहन नही किया जा रहा था, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण मे जब्तशुदा वाहन **Mahindra Bolero MAXI TRUCK PLU 1-2T CBC, Registration NO. RJ03-GA-5479** को रिलीज कराने की कृपा करावे एवं जब्तशुदा बैलो को सुपूर्द करने आदेश फरमावे। इसी इश्तदुआ के साथ वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरण मे थानाधिकारी थाना **सज्जनगढ जिला बांसवाडा** से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक दिनांक 14.05.2026 को दौराने नाकाबंदीएक वाहन **Mahindra Bolero MAXI TRUCK PLU 1-2T CBC, Registration NO. RJ03-GA-5479** में दो बैल भरे हुए पाए गये। थानाधिकारी अनुसार डाले के अन्दर कोई चारे पानी की व्यवस्था नही की हुई थी।

इस प्रकार प्रकरण में असुरक्षित तरीके से गौवंश परिवहन किया जा रहा था, जिससे परिवहनरत गौवंश पर शारीरिक पीडा कारित हुई है। इस कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत होना दर्शित है।

राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 7 (1) के तहत जब्तशुदा गौवंश की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निस्तारण होने तक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओ के कल्याण के लिए कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वेच्छीक एजेन्सी को या राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के उपबंधो के अधीन शासीत किसी गौशाला या किसी गोसदन को सोपने का प्रावधान है।

हमने संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधानो का चिंतन एवं मनन किया। संशोधित अधिनियम की 2018 की धारा 6 (क) की उपधारा (2) में उपधारा (1) निर्दिष्ट प्रवहण के ऐसे, साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जा सकेगा। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह तय किया जा सके कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्व में इस परन्तुक के अधिन विकल्प दिया जा चुका है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर हस्तगत पुलिस थाना **सज्जनगढ जिला बांसवाडा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट **116/2026** धारा 5,6,8 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण के संबंध में वाहन स्वामी **बहादुर सिंह पिता श्री रतनाजी जाति हरिजन निवासी टाण्डीबडी, टाण्डी कला,**

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पुलिस थाना कसारवाडी, जिला बांसवाडा राजस्थान द्वारा जुर्माना राशि रुपये 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रुपया मात्र के संदाय किये जाने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन **Mahindra Bolero MAXI TRUCK PLU 1-2T CBC, Registration NO. RJ03-GA-5479** को रुपये 500000/– अक्षरे पाँच लाख रुपया मात्र की जमानतनामा एवं सुपूर्दगीनामा पर निम्नानुसार विहित शर्तो –

1. सक्षम न्यायालय मे दौराने सुनवाई उक्त वाहन किसी अन्य को अन्तरित या हस्तांतरित नही किया जावेगा।
2. सक्षम न्यायालय मे दौराने सुनवाई वाहन के रंग रोगन और मॉडल में परिवर्तन या परिवर्धन नही किया जावेगा।
3. सक्षम न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त वाहन तलब किये जाने पर वाहन स्वामी/ सुपूर्ददार स्वयं के खर्च पर उक्त वाहन माननीय न्यायालय में पेश करेगा।

उपरोक्तानुसार शर्तो पर सुपूर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है। संबंधित वाहन स्वामी द्वारा आदेशानुसार जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान/ रसीद व अपेक्षित जमानतनामा व सुपूर्दगीनामा एक माह की अवधि में प्रस्तुत नही करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन **Mahindra Bolero MAXI TRUCK PLU 1-2T CBC, Registration NO. RJ03-GA-5479** को नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार जरिये निलामी निस्तारण कर प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराया जावे। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना **सज्जनगढ जिला बांसवाडा** को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26–05–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)